Navbharat Times, Mumbai
Sunday, 1st January 2012, Page: 9

नए साल की रौनक से अछूता आदिवासी वर्ग

विजय कुमार सिंह॥ भिवंडी

नए साल के स्वागत में पूरा देश पार्टी मूड में है। लोग अगले दिन तक हर्षोल्लास में डूबे रहते हैं। नए साल के पहले दिन लोग एक दूसरे से मिलने, साल में नया क्या करने वाले हैं इसकी तैयारियों आदि में जुट जाते हैं। लेकिन देश में ऐसे कई तबके हैं जो, इन सारी चीजें से अनजान अब भी 'गुलामी' की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इन लोगों के लिए नया साल उन पुराने सालों की तरह ही होता है, जिसके कोई मायने नहीं होते है। बंधुआ मजदूर प्रतिबंधक अधिनियम लागू हुए दो दशक से अधिक का समय बीत चुका है, फिर भी ठाणे जिले के ईंट भट्ठा उद्योग में आज भी बंधुआ मजदूरों को मुक्ति नहीं मिली है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उनका अस्तित्व बना हुआ है। पिछले महीने दो आदिवासी मजदूरों की मौत इंसानियत को कलंकित करने वाली थी, जो यह साबित करती है कि सरकार के लाख प्रयास के बावजूद गुलामी की प्रथा आज भी कायम है।

22 नवंबर, 2011 को बंधुआ मजदूरी के चलते ही शाहपुर तालुका के शेरे गांव में मालिक द्वारा बेरहमी से की गई पिटाई के कारण आदिवासी मज़दूर झिपर्या मुकने की मौत हो गई थी। इसके 15 दिन बाद ही भाईंदर के पास ओवला गांव में मोखाड़ा तालुका के आदिवासी मजदूर रामदास बलवी की मौत भी मालिक की पिटाई के कारण हो गई थी। संयोग से मौत के शिकार हुए दोनों मजदूर ईंट-भट्टे पर ही काम करते थे। तेजी से शहरीकरण के कारण ठाणे-मुंबई सहित अन्य उपनगरों में हो रहे निर्माणों

- ईंट भट्ठा उद्योग में 'बंधुआ' मजदूरी कर रहे हैं आदिवासी
- खुलेआम हो रहा है शोषण
- 'मॉडर्न इंडिया' को शर्मसार करती घटना

की प्राथमिक जरूरत ईंट है। दिवाली के बाद ही ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर ईंट भट्ठा का काम शुरू हो जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूरे ठाणें जिले में कितने ईंट भट्ठे हैं, उसमें काम करने वाले कितने मजदूर हैं, उनको कितनी मजदूरी दी जाती है, इसकी जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं है। संबंधित प्रांत कार्यालय से ईंट भट्ठा चलाने के लिए परमीशन दिया जाता है। इन ईंट भट्ठों पर ग्रामीण इलाके के आदिवासी परिवार काम करते हैं, जिनके साथ में उनके छोटे-छोटे बच्चे भी रहते हैं। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण मंडल सहित कामगार कल्याण विभाग द्वारा ध्यान न दिए जाने से मजदूरों का खुला शोषण किया जाता है। लगभग बारिश भर ईंट भट्ठा का काम चलते रहने के कारण आदिवासी मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी नहीं हो पाती है। अगस्त-सितंबर में गौरी-गणपति के त्यौहार के समय आदिवासी परिवार अपने खर्चे के लिए भट्ठा मालिकों से एडवांस रकम ले लेता है। भट्ठा मालिक भी मजदूरों को एडवांस रकम देकर उन्हें 'बंधुआ' के तौर पर बुक कर लेते हैं। दीवाली के बाद सीजन शुरू होते ही ऐसा इंतजाम कर दिया जाता है कि वे मजदूर कहीं भागने न पाएं और अपने ही पास काम करें। लेकिन ज्यादा मजदूरी का लालच देकर भट्ठा मालिक एक-दूसरे के मजदूरों को भगाने में लगे रहते हैं। अपने मजदूर भागकर दूसरे जगह न चले जाए, इसलिए उन्हें घेर कर रखा जाता है। इसके बावजूद अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसके साथ जमकर मारपीट की जाती है।

मालिकों के दहशत की वजह से ऐसे प्रकरण सामने नहीं आते। आदिवासी मजदूरों की हुई आकस्मिक मृत्यु के मामले में हाईकोर्ट ने जहां सीआईडी जांच का आदेश दिया है, वहीं मुरबाड़ की श्रमिक मुक्ति संगठन ने जिलाधिकारी ठाणे से ईंट भट्ठा मजदूरों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय योजना करने की मांग की है। श्रमिक संगठन ने जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में जिले के सभी ईंट भट्ठियों का सर्वेक्षण कर वहां काम करने वालों मजदूरों का हाजिरी रजिस्टर बनाने, उन्हें निश्चित मजदूरी देने एवं रहने की अच्छी व्यवस्था करने की मांग की है।